भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 850
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

रामनाथपुरम में पीएमईजीपी

850. **श्री नवसकनी के.:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नई गैर-कृषि सूक्ष्म इकाइयाँ (नॉन-फॉर्म माइक्रो एंटरप्राइजेज) स्थापित करने के लिए पैंतीस प्रतिशत तक की मार्जिन मनी राजसहायता प्रदान करता है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोक सभा क्षेत्र में उपरोक्त कार्यक्रम के तहत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों की संख्या, श्रेणी-वार स्वीकृत और जारी की गई मार्जिन मनी राजसहायता के साथ कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रामनाथपुरम लोक सभा क्षेत्र में पीएमईजीपी- सहायता प्राप्त इकाइयों के माध्यम से उत्पन्न रोजगार के अवसरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों से बैंक ऋण की स्वीकृति में देरी, मार्जिन मनी राजसहायता जारी करने में देरी या पीएमईजीपी आवेदनों की अस्वीकृति के संबंध में कोई प्रतिवेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएमईजीपी के तहत रामनाथपुरम लोक सभा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार करने, राजसहायता जारी करने में तेजी लाने और आकांक्षी उद्यमियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशासित ऋण-संबद्ध सब्सिडी स्कीम है और यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा क्रियान्वित की जाती है ताकि सतत रोजगार अवसरों के सृजन हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर मार्जिन मनी (एमएम) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में भावी उद्यमियों को सहायता दी जा सके।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की एमएम सब्सिडी और परियोजना लागत के साथ सहायता प्रदान करता है। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों अर्थात् एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, अवकाश-प्राप्त सैनिक, दिव्यांजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, एमएम सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित एमएम सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
2023-24	3093.88
2024-25	2202.00
2025-26	2457.34

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, स्वीकृत एवं संवितरित एमएम सब्सिडी तथा अनुमानित रोजगार सृजन का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख रुपये में)	अनुमानित रोजगार सृजन
सामान्य	113	62.07	1017
अनुसूचित जाति	22	49.23	198
अन्य पिछड़ा वर्ग	61	238.91	549

(घ): पीएमईजीपी के अंतर्गत, लाभार्थियों जिनमें रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थी भी शामिल हैं, से बैंक ऋण की स्वीकृति, एमएम सब्सिडी जारी होने में विलंब या पीएमईजीपी आवेदनों की अस्वीकृति से संबंधित मामलों पर प्रतिवेदन और शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। इन शिकायतों का एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी और संबंधित जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनमें वित्तपोषण बैंक भी शामिल हैं, द्वारा समयबद्ध एवं सुव्यस्थित ढंग से उनके मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उत्तर प्रदान करके निस्तारण किया जाता है।

(ङ): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देशभर में ऋण प्रवाह में सुधार, मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के शीघ्रता से जारी करने तथा आंकाक्षी उद्यमियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पंजीकरण, आधार-आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और विशिष्ट मोबाइल एप्लिकेशन के निर्बाध प्रसंस्करण और सरलीकरण के लिए बहुभाषी पहुंच, जन समर्थ के वित्तपोषण बैंकों और उद्यम के साथ एकीकरण हेतु भाषिणी के साथ समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक नया पीएमईजीपी पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है।

ii. विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

iii. एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषण बैंकों से स्पष्ट कहा है कि वे इस उपबंध का सख्ती से अनुपालन करें।

iv. ऋणों की उचित स्वीकृति और एमएम सब्सिडी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से शीर्ष स्तर की बैंकर्स बैठकें, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें आयोजित की जाती हैं।

v. उच्च सब्सिडी के लिए आकांक्षी जिलों और विशेष श्रेणी के अंतर्गत पात्र ट्रांसजेंडर आवेदकों को शामिल किया गया है।

vi. भावी लाभार्थियों को वास्तविक समय सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है।

vii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

viii. पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य स्तर की निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तर की निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें नियमित रूप से राज्य और जिला स्तर पर आयोजित की जाती हैं।

ix. भावी लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।

x. पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भावी उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए बैंकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
